उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

Mutation Revision Case No.-02/2020 मो0 जफरूल्लाह–बनाम–राज्य एवं अन्य (रंजीत कुमार)

Mutation Revision Case No.-03/2020 मो0 जफरूल्लाह–बनाम–राज्य एवं अन्य (रेखा वर्णवाल)

Mutation Revision Case No.-04/2020 मो0 जफरूल्लाह–बनाम–राज्य एवं अन्य (शारदा देवी)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
30/01/24		

प्रस्तुत मामला अपीलार्थी मो0 जफरूल्लाह के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग के न्यायालय से म्यूटेशन रिविजन वाद संख्या 07/2004–05 रंजीत कुमार–बनाम–राज्य एवं अन्य, वाद संख्या वाद संख्या 08/2004–05 शारदा देवी–बनाम–राज्य एवं अन्य एवं वाद संख्या 09/2004–05 रेखा वर्णवाल–बनाम–राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपीलवाद के क्रम प्रारम्भ किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निम्नवत है:–

अपीलार्थी का कथन है कि इस वाद के द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण के समक्ष प्रश्नगत मौजा ताजपुर के खाता संख्या 87, 89, 100 एवं 110 के विभिन्न प्लॉट के अन्तर्गत क्रमशः रकबा 1.20 ए0,1.20 ए0 एवं 1.20 ए0 भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा नहीं है एवं विपक्षी के विक्रेता के नाम कोई लगान रसीद निर्गत नहीं है। विक्रेता के नाम कायम जमाबंदी को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के द्वारा म्यूटेशन अपील वाद संख्या 23/84–85 के द्वारा बंद किया जा चुका है, जिसके क्रम में अंचल अधिकारी, चौपारण के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 494/2004–05, 495/2004–05 एवं 496/2004–05 को अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त दाखिल खारिज अस्वीकृत होने के पश्चात द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में अपील आवेदन दायर किया गया जिसमें विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही द्वारा सुनवाई उपरांत द्वितीय पक्ष के अपील आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी का कथन है विपक्षी के विक्रेता की जमाबंदी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश से बंद कर दी गयी है। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी के विक्रेता एबुन निशा एवं अन्य के द्वारा सक्षम प्राधिकार के समक्ष कोई भी संशोधन अथवा अपील आवेदन दायर नहीं की गयी थी एवं तत्कालीन विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के द्वारा पारित आदेश वर्तमान में कायम है, जिसके उपरान्त भी विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद स्वीकृत किया जाना विधि संगत नहीं है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलार्थी का अग्र कथन है कि विद्वान निम्न न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही है कि तथाकथित बटंवारानामा के आधार पर संबंधित पक्ष कभी कब्जे में नहीं रहे हैं। फिर भी अपील आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:-

इस वाद के अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा दिनांक 27.10.2004 को दाखिल खारिज वाद संख्या 494/2004-05, 495/2004-05 एवं 496/2004-05 में पारित आदेश जिसमें उपरोक्त वर्णित दाखिल खारिज को अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा अस्वीकृत किया गया था के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में अपील आवेदन दायर किया गया जिसके क्रम में सुनवाई उपरांत विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही द्वारा दिनांक 10.12.2004 को पारित आदेश में आवेदकगण के अपील को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थीयों के पक्ष में लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, चौपारण को आदेश निर्गत किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के उपरोक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में W.P.(C) No. 1403/2005 दायर किया गया जिसमें माननीय

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के आदेश को निरस्त करते हुए पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने हेतु नोटिस निर्गत करने के आदेश के साथ अभिलेख निम्न न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के द्वारा वाद की पुनः सुनवाई करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया।

प्रश्नगत भूमि मौजा ताजपुर, खाता संख्या–87, 89, 100 एवं 110 थाना चौपारण,थाना नं0–61, पूर्व जमींदार भगवान दास, डोमन साहु एवं अन्य के नाम बकास्त दर्ज है। तत्कालीन जमीन्दार बाबू डोमन साहु तथा भगवान दास द्वारा कुल रकबा–18.96 ए0 भूमि शेख खुर्शीद अली एवं शेख मौला बक्स को सादा हुकुमनामा द्वारा दिनांक चैत 16 संवत 1986 को बन्दोबस्त किया गया। बन्दोबस्तधारी शेख खुर्शीद अली एवं शेख मौला बक्स द्वारा कबूलियत नं0 418, दिनांक 21.07.1931 को जमींदार बाबू डोमन साहु एवं बाबू भगवान दास को लिखा गया।

शेख खुर्शीद अली के पिता शेख सहादत अली एवं शेख मौला बक्स के पिता महमुद मियां थे। शेख सहादत अली के तीन पुत्र क्रमशः शेख खुर्शीद अली, शेख शराफत अली एवं हबीबुर्र रहमान हुए। शेख मौला बक्श के तीन पुत्र क्रमशः अब्दुल रउफ, ललिफुर रहमान एवं फारूक हुए, जिनको खाता सं0–87,89,100 एवं 110 से संबंधित भूमि का बंटवारा निबंधित बंटवारानामा जो दिनांक 24.05.1944 को किया गया, जो निम्न प्रकार से प्राप्त हुआः–

<u>शेख खुर्शीद को प्राप्त भूमिः–</u>

खाता संख्या	प्लॉट	रकबा (ए0)
87	24	3.20
89	08	0.20
100	24	0.66
110	09	0.59
	कुल रकबा	4.65

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

हबीबुर्र रहमान को प्राप्त भूमिः—

खाता संख्या	प्लॉट	रकबा (ए0)
87	24	4.38
89	08	0.59
100	24	1.68
110	09	0.45
	कुल रकबा	7.04

अब्दुल रउफ को प्राप्त भूमिः—

खाता संख्या	प्लॉट	रकबा (ए0)
87	30	4.71
89	06	0.39
100	16	0.39
110	15	1.25
	कुल रकबा	7.27

अब्दुल रउफ अपने दखल कब्जे के चारों खाते की सम्पूर्ण भूमि निबंधित दान पत्र संख्या 9541 दिनांक 25.05.1978 के द्वारा अपनी पत्नी एबुन निशा को दे दिया, जिसके नाम से जमाबन्दी पंजी--II के भोल्युम 59/11 में कायम हुआ। एबुन निशा मृत्यु के पश्चात अपने चार पुत्रों क्रमशः मो0 खालीक, मो0 अतीक, मो0 लईक आलम एवं सफीक को छोड़ गयी। मो0 सफीक की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्र मो0 आजम एवं मो0 मुअज्जम एवं एबुन निशा के अन्य तीन पुत्र मिलकर निम्नांकित भूमि दिनांक 28.05.2004 को बजरंगी लाल पिता–रघुनी लाल को विक्रय पत्र संख्या 7894 द्वारा निम्न भूमि बिक्री की गयीः—

खाता संख्या	प्लॉट	रकबा (ए0)
87	1094	0.23
87	613	0.10
87	979	0.13
89	1369	0.06
89	1920	0.15
100	1620	0.19
100	623	0.02
100	1871	0.03
100	1846	0.10
110	1979	0.03
110	1266	0.09
110	1807	0.07
कुल खाता--4	कुल प्लॉट–12	कुल रकबा–1.20 ए0

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

बजरंगी लाल द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, चौपारण के कार्यालय में आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद संख्या 494/2004–05 में अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 07/2004–05 दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, चौपारण को लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया जिसके आलोक में बजरंगी लाल को प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद प्राप्त हुआ।

बजरंगी लाल की मृत्यु दिनांक 10.12.2005 को हो गयी। बजरंगी लाल की मृत्यु के उपरान्त उनके एक मात्र पुत्र रंजीत कुमार उक्त वाद में उत्तराधिकारी के रूप में शामिल हुए।

दिनांक 28.05.2004 को ही एबुन निशा के वारिसान द्वारा शारदा देवी पति बजरंगी लाल को निबंधित केवाला संख्या 7693, दिनांक 28.05.2004 द्वारा बेच दिया गया।

खाता संख्या	प्लॉट	रकबा (ए0)
87	254	0.05
87	520	0.07
87	949	0.06
87	641	0.13
87	1065	0.14
87	1551	0.05
87	447	0.22
87	1348	0.07
89	251	0.05
89	1849	0.05
100	332	0.04
100	1009	0.14
100	1766	0.03
110	1981	0.06
110	650	0.04
कुल खाता–4	कुल प्लॉट–15	कुल रकबा–1.20 ए0

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

ादेश की क्रम ं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

शारदा देवी के द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, चौपारण के कार्यालय में आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद संख्या 495/2004–05 में अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–08/2004–05 दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, चौपारण को लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में शारदा देवी को प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद प्राप्त हुआ।

दिनांक 28.05.2004 को ही एबुन निशा के वारिसान द्वारा रेखा वर्णवाल पति श्री रंजीत वर्णवाल को विक्रय पत्र संख्या 7892 द्वारा भूमि बिकी की गयी।

खाता संख्या	प्लॉट	रकबा (ए0)
87	1802	0.10
87	1079	0.06
87	1968	0.28
87	1152	0.04
87	1913	0.09
87	445	0.09
87	447	0.14
89	1024	0.05
89	1642	0.03
100	1560	0.04
100	1638	0.03
100	1370	0.04
100	1770	0.03
110	1498	0.05
110	1785	0.09
110	1342	0.04
कुल खाता–4	कुल प्लॉट–16	कुल रकबा–1.20 ए0

रेखा वर्णवाल के द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, चौपारण के कार्यालय में आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद संख्या 496/2004–05 में अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 09/2004–05 दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी,

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

चौपारण को लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में रेखा वर्णवाल को प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद प्राप्त हुआ।

द्वितीय पक्ष की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का पक्ष में आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची में W.P.(C) No. 1403/2005 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात निम्न न्यायालय को दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया गया। प्रथम पक्ष वक्त बर्बाद करने हेतु दाखिल खारिज वाद संख्या 162/84–85 एवं दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–23/84–85 की मांग की गयी है, जिसका लंबित वाद से कोई संबंध नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद में अनुरोध किया गया कि अभिलेख पुनः सुनवाई निम्न न्यायालय में भेजकर कराया जाय। उनके द्वारा उच्च न्यायालय में भी कोई निर्णय नहीं होने दिया जो अपीलार्थीगण के लिए अपूरनीय क्षति है।इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के आदेश के आलोक में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करते हुए आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

निम्न न्यायालय में उभय पक्ष उपस्थित हुए प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात रखी गयी तथा दिनांक 24.05.1944 को हुए निबंधित बंटवारानामा के आधार पर अब्दुल रउफ के हिस्से की भूमि जिसे उन्होंने अपनी पत्नी बीबी एबुन निशा को दान पत्र लिख दिया तथा हक हिस्से एवं कब्जे के आधार पर अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 162/84–85 द्वारा बीबी एबुन निशा के नाम से जमाबंदी खोलते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया एवं उक्त भूमि पर एबुन निशा के वारिसानों द्वारा दखल कब्जा के आधार पर अपने हिस्से की भूमि द्वितीय पक्ष को निबंधित विक्रय पत्र द्वारा किये गये बिक्री को सही बताया।

निबंधित बंटवारानामा एवं शेख खुर्शीद अली एवं शेख मौला बक्श की वंशावली से स्पष्ट होता है कि अब्दुल रउफ के हिस्से की भूमि का लगान आदि जमींदार को चुकाते रहे। कालान्तर में अब्दुल रउफ द्वारा दान पत्र अपने पत्नी के नाम से लिखे जाने के बाद अंचल अधिकारी, चौपारण

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

3

द्वारा बीबी एबुन निशा के नाम से उनके हिस्से की भूमि की जमाबंदी खोली गयी तथा लगान रसीद भी निर्गत किया गया। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दाखिल खारिज को बंद करने का आदेश देना एवं उक्त भूमि को शेख खुर्शीद अली की जमाबंदी में शामिल करना तथ्य से परे एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची के आदेश के आलोक में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखा गया उनके द्वारा न्यायालय को बताया गया कि खाता संख्या 87, 89 100 एवं 110 कुल रकबा 18.96 ए0 भूमि मौजा ताजपुर, थाना–चौपारण से संबंधित है। पूर्व में यह भूमि जमींदार भगवान दास एवं डोमन साहु द्वारा सन 1930 ई0 में शेख खुर्शीद अली पिता सहादत अली एवं शेख मौला बक्स पिता महमुद मियां को हुकुमनामा द्वारा बन्दोबस्त किया गया था, जिसके आलोक में उनके द्वारा 22.07.1931 को कुल रकबा 18.96 ए0 भूमि का लगान चुकाने हेतु कबूलियत दिया गया।

शेख खुर्शीद अली उक्त भूमि के दखल कब्जे में रहे तथा जमींदार को वार्षिक लगान देते रहे जबकि शेख मौला बक्स द्वारा कबूलियत के अनुसार कभी भी कोई मूल्य या वार्षिक लगान नहीं चुकाया और न ही प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जे में रहे और इसी के आधार पर जमींदारी बिहार सरकार में समाहित होने के पश्चात अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा शेख खुर्शीद अली के भाई शेख हबीबुर्र रहमान को रकबा 7.04 ए0 भूमि मिला एवं कुछ अंश उसके भतीजे अब्दुल रउफ को भी मिला था लेकिन वे भूमि पर दखल कब्जा में नहीं रहे तथा भारत छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान अब बाग्लादेश चले गये।

अब्दुल रउफ बिना राईट टाईटल एवं दखल कब्जा के ही रकबा 7.27 ए0 मधे रकबा 18.96 ए0 भूमि अपनी पत्नी को वर्ष 1978 में दान पत्र लिख दिया। उक्त दान पत्र के आधार पर अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 162/84–85 द्वारा दिनांक 26.05.1984 को पारित आदेश की जानकारी मिली तो उन्होंने सत्यापित प्रति प्राप्त कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	23/84–85 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई के पष्चात दोनों पक्षों द्वारा दाखिल जवाब के आधार पर दिनांक 15.11.1991 को आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी, चौपारण के दाखिल खारिज वाद संख्या 162/84–85 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा एबुन निशा की जमाबंदी को बंद कर दिया गया एवं खुर्शीद अली के नाम से दर्ज कर दिया गया। शेख खुर्शीद अली द्वारा खाता संख्या–87, 89, 100 एवं 110 कुल रकबा 11.99 ए0 एवं अपने स्वयं के नाम से खरीदी गयी भूमि खाता 140 रकबा 11 डी0 भूमि विक्रय पत्र संख्या 7309 दिनांक 29.08.1989 द्वारा विपक्षी नं0 2 को बिक्री कर दिया गया। विपक्षी नं0–2 द्वारा रकबा 1.78 ए0 मधे रकबा 12.10 ए0 को छोड़कर शेष रकबा 10.32 ए0 भूमि का दाखिल खारिज अंचल अधिकारी, चौपारण के दाखिल खारिज वाद संख्या 75/1999–2000 से दाखिल करवाकर लगान रसीद प्राप्त किये एवं 1989 से अभी तक दखल कब्जा में हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण को भूमि बिक्री करने वाले विक्रेता का प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार नहीं था तथा 15 वर्ष पूर्व दखल कब्जा खोने के बाद विक्रेतागण को प्रश्नगत खाता संख्या 87, 89,100 एवं 110 में क्रमशः रकबा 1.20 ए0, 1.20 ए0 एवं 1.20 ए0 भूमि अपीलार्थीगण के नाम से बिक्री करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अपीलार्थीगण का अपील सही नहीं है। जहां तक तथ्य का प्रश्न है हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के दाखल खारिज अपील वाद संख्या 23/84–85 में समर्पित जांच प्रतिवेदन सही था। अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 494/2004–05,495/2004–05 एवं 496/2004–05 को अस्वीकृत करना सही है। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 23/84–85 में दिनांक 29.06.1989 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं किया गया इसलिए वर्तमान अपील को निरस्त किया जाय। उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के परिशीलन के उपरांत विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के द्वारा	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

494/2004–05, 495/2004–05 एवं 496/2004–05 में दिनांक 27.10.2004 के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थीयों के अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया एवं सन 1944 ई0 के निबंधित बंटवारानामा के आधार पर अब्दुल रउफ को प्राप्त भूमि रकबा 7.27 ए0 जो0 उसकी पत्नी बीबी एबुन निशा को दान पत्र द्वारा प्राप्त हुआ था, की जमाबंदी जो0 1991 ई0 तक थी को पुनः चालू करते हुए बीबी0 एबुन निशा के वारिसानों द्वारा अपीलार्थीगण को बिक्री किये गये भूमि का जमाबंदी जो अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–07/04–05, 08/04–05 एवं 09/04–05 में दिनांक 10.12. 2004 को पारित आदेश से खोला गया था को पुनः चालू करते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:–

प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 87, 89, 100 एवं 110 कुल रकबा 18.96 ए0 शेख खुर्शीद अली पिता शेख सहादत अली एवं शेख मौला बक्स पिता महमुद मियां को तत्कालीन जमींदार भगवान दास एवं डोमन साहु से सन 1930 ई0 में जमींदारी हुकुमनामा द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में बंदोबस्तधारी द्वारा दिनांक 22.07.1931 को कबुलियत न0 418, जमींदार के पक्ष में लिखा गया।

अपीलार्थी का कहना है कि शेख खुर्शीद अली द्वारा ही समस्त भूमि रकबा 18.96 ए0 का लगान आदि दिया गया। शेख मौला बक्स कभी भी वार्षिक लगान नहीं दिये तथा प्रश्नगत भूमि पर उनका दखल कब्जा नहीं रहा। मौला बक्स गया जिला में जाकर बस गये तथा मौला बक्स के वारिसान अब्दुल रउफ पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) चले गये इस सारी बातों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया एवं केवल मौखिक ही यह बातें की गयी।

प्रतिपक्षी द्वारा नगर निगम, हजारीबाग द्वारा अब्दुल रउफ, का निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित की गयी है, जिसमें मृत्यु का स्थल

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

स्पष्ट है कि अब्दुल रउफ की मृत्यु हजारीबाग निवास के दौरान हुई है।

सन 1944 में हुए निबंधित बंटवारानामा के अनुसार शेख खुर्षीद अली को मात्र 4.65 ए0 भूमि प्राप्त हुआ था, जबकि अब्दुल रउफ को 7.27 ए0 भूमि प्राप्त हुआ। बाद में वर्ष 1978 में उनके द्वारा बीबी एबुन निषा को दान पत्र लिखा गया जिसके आधार पर अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 162/84–85 द्वारा इनके नाम से जमाबंदी खोलते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सख्या 23/84–85 में बीबी एबुन निषा की जमाबंदी बंद करने तथा उक्त भूमि को शेख खुर्षीद अली के जमाबंदी में शामिल करने संबंधी आदेष तथ्य से परे हैं क्योंकि अब्दुल रउफ उक्त भूमि सन 1944 में हुए निबंधित बंटवारानामा से प्राप्त हुआ था। बीबी एबुन निषा के वारिसानों द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि अपीलार्थीयों को बिक्री की गई है, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा क्रय किये गये भूमि पर दखल कब्जा में चले आ रहे हैं। अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 494,495 एवं 496/2004–05 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 23/84–85 में पारित आदेष के आलोक में अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण के आदेष के विरूद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–07/2004–05, 08/2004–05 एवं 09/2004–05 दायर किया गया।

सुनवाई के उपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी, सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही द्वारा दिनांक 19.12.2004 को पारित आदेष में अंचल अधिकारी, चौपारण के दिनांक 27.10.2004 को पारित आदेष को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण के अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया तथा अंचल अधिकारी को निदेषित किया गया है कि सन 1944 ई0 में निबंधित बंटवारानामा के आधार पर कायम जमाबंदी जो बीबी एबुन निषा के नाम से रकबा 7.27 ए0 हेतु खोली गयी थी को पुनः चालु करने एवं बीबी एबुन निशा के वारिसों द्वारा किये गये विक्रय पत्र के अनुसार दाखिल खारिज करके

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

लगान रसीद निर्गत किया जाय।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक निबंधित बंटवारानामा केवाला जो सन 1944 ई0 में खुर्शीद अली, मो0 हबीबुर्र रहमान एवं अब्दुल रउफ के बीच हुआ, जिसमें तीनों को क्रमशः रकबा 4.65 ए0, रकबा 7.04 ए0ए रकबा 7.27 ए0 प्राप्त हुआ। अब्दुल रउफ द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपनी पत्नी एबुन निशा द्वारा किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण शेख खुर्शीद अली के नाम सन 1991 ई0 से पहले किया गया है साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा को आधार नहीं बनाया गया, जो दाखिल खारिज हेतु एवं महत्वपूर्ण बिन्दु होता है।

प्रतिपक्षी द्वारा भूमि पर दखल कब्जा से संबंधित अंचल अधिकारी चौपारण द्वारा निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा भूमि पर दखल कब्जा संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन के पश्चात सम्यक विवेचनोपरान्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही द्वारा पारित आदेश से असहमत होने को कोई ठोस आधार नहीं है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेष की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

30/1/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

30/1/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.12 17:40:24 +05:30
Location: 192.168.1.6